



FORMAT OF CERTIFICATE TO BE ISSUED BY THE DISTRICT EDUCATION OFFICER IN RESPECT OF SCHOOLS ALREADY AFFILIATED WITH THE BOARD AND SEEKING EXTENSION/UPGRADATION OF AFFILIATION WITH THE CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(In accordance with School Safety Policy, 2016 issued by the NDMA, Manual on Safety and Security of Children in Schools developed by NCPDR and the National Building Code)

PART-A

(This part is to be filled-up by the school and to be produced before the District Education Officer along with all supporting documents and certificates in original)

1.	Affiliation Number allotted by CBSE to the school:	1030641
2.	Name of the School as per affiliation letter of CBSE:	Satpuda Valley Public School
3.	Address of the School:	Satpuda Valley Public School, Sahutola, Manjhapur (Garra) Balaghat
4.	Standard/level/class up to which the school is running:	From Nursery to 12 th Class
5.	Is the name and address of school in CBSE affiliation letter and State NOC/Recognition/U-DISE same exactly the same	Yes
6.	U-DISE code allotted to the school:	23450616903
7.	Name and address of the Trust/Society/ Company(under section-8) running the School as on date	Maharana Pratap Shikshan Samitee, Sahutola, Manjhapur (Garra) Balaghat
8.	Is the Trust/Society/ Company duly registered with the competent registering authority and the registration is valid as on date?	Yes
9.	Purpose of present application:	Extension To Senior Secondary School
10.	Location of school	In the municipal Limits of city have.
10 (a)	Has the school obtained Recognition Certificate from the State Government from class-1 to 8 th ?	YES


PRINCIPAL
Satpuda Valley Public School
Sahutola Garra, Balaghat (M.P.)
CBSE AFF.NO. - 1030641
SCHOOL CODE- 50608


District Education Officer
Distt. Balaghat (M.P.)


11.	Number of Recognition Certificate from class-1 to 8 th and date of issue:	4530491 01-04-2017 To 31/3/2020
12.	Is the School affiliated to any other board besides CBSE for Class-X or XII examinations?	NO


INFORMATION REGARDING LAND DETAILS AND OWNERSHIP

13.	Is the school situated on a single contiguous plot of land bounded on all sides by a Pucca Boundary Wall?	YES
14.	Are both the School and the Play Ground situated in a single compound bounded by a single continuous Boundary Wall on all sides?	YES
15.	Total area (in square meters) in respect of 13 and 14 above on which the school is situated:	8094 SQ. M
16.	The land is in the possession of the school/ Trust/Society/Company legally by way of:	Sale deed
17.	Name of the Owner/Lessee of the land in respect of point-16 above:	Maharana Pratap Shikshan Samitee
18.	In case the land is in the possession of the society/school by way of lease as per State Government norms, the period of the lease:	NA
19.	Is any public road, canal or thorough-fare, HT line etc. passing through the land in respect of point-15 above?	NO

INFORMATION REGARDING ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS

20.	Has the school been inspected by the Government engineer and the school building been found structurally safe for running a school?	YES
20(a)	If yes the date of last inspection:	
21.	Has the school been inspected by the officer of Government Fire Department and the school building been declared safe for school from the point of view of fire safety?	YES
21(a)	If yes the date of last inspection:	02/02/2016
22.	Has the school compound been checked by the public health department and the health and sanitary conditions been found to be satisfactory and the water has been found safe for drinking?	YES
22(a)	If yes the date of last inspection:	


District Education Officer
Distt. Balaghat (M.P.)


PRINCIPAL
Satpuda Valley Public School
Sahutola Garra, Balaghat (M.P.)
CBSE AFF. NO. - 1030641
SCHOOL CODE - 50608

INFORMATION REGARDING THE STAFF

23.	Does the school have well defined service rules and conditions for its employees as per prevalent norms of appropriate Government?	YES
24.	Is the school paying salary to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?	YES
25.	Is the salary to the teachers and other employees of the school being paid through the bank by mode of electronic clearing? (Payment by cheque or cash to the individuals is not allowed)	YES
26.	Is the school paying EPF to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?	YES

Signature with Stamp
(of School Manager)

Signature with Stamp (of School Principal)

PRINCIPAL

Satpuda Valley Public School
Sahutola Garra, Balaghat (M.P.)
CBSE AFF.NO. - 1030641
SCHOOL CODE- 50608

PART-B

(This part is to be filled-up by the District Education Officer after verifying all supporting documents and certificates in original and visiting the school)

File No..... Date of Issuance.....

- 1 This is to certify that the information above, provided by the school has been verified on the basis of all supporting documents & certificates and visiting the school and the information has been found correct.
- 2 Is the school recommended for extension/upgradation of affiliation? YES
Extension


District Education Officer
Distt. Balaghat (M.P.)

Signature (Name and Stamp of Issuing DEO)
DISTRICT EDUCATION OFFICER/NAME OF DISTRICT

PRINCIPAL

Satpuda Valley Public School
Sahutola Garra, Balaghat (M.P.)
CBSE AFF.NO. - 1030641
SCHOOL CODE- 50608

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (BALAGHAT), मध्य प्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक: स्कूल आई.डी. प्रति, 4530491/17123

दिनांक:- 20/04/2017

प्रबंधक,

(SATPUDA VALLEY PUBLIC SCHOOL SAUTOLA MANJHAPUR)

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पंजाबवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में मैं आपकी स्कूल - SATPUDA VALLEY PUBLIC SCHOOL SAUTOLA MANJHAPUR, SAUTOLA MANJHAPUR TEH LALBURRA DISTRICT BALAGHAT को कक्षा Nursery से कक्षा 6th तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने प्रवेश की सीमा के अतिरिक्त समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवृत्त व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवृत्त सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम परचोस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा:-
 - (क) आयु के सवृत्त के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को पारंपरिक या मानसिक रूप से प्लेज्ड नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

(Signature)

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल को मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

सुविधाएं		पाठ्यक्रम	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्तरों का भवन	स्तरों का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	10000	25000
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	25000	10000
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	200000	200000

अधीनस्थाना का विवरण						
क्र.सं.	कक्षा	Rooms as per RTE	शौचालय दर्जा		वास्तविक स्थिति	
			संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा		14	270	14	273
2	कार्यालय कक्षा सह-अपडार कक्षा सह-प्रधानाध्यापक कक्षा			210		210
3	भोजनालय सह-अपडार		0	0	0	0

अन्य सुविधाएं		पाठ्यक्रम	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है? हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	200	150
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	5	1
6	पंचजन सुविधा का प्रकार	Hand Pump	Hand Pump
7	पंचजन सुविधा की संख्या	5	3
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/दोनों)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	3
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	3
11	दिकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..4530491.. एवं ड्राईसकोड (DISE) 23450616903 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अर्पित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियां को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

Majumdar

PRINCIPAL
Satpuda Valley Public School
Sahutola, Garra, Balaghat (M.P.)
CBSE AFF No.-1030641
School Code- 14523

भवदीय,
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला BALAGHAT मध्यप्रदेश